

Hospital Beds - Prebid Meeting की कार्यवाही

तीन प्रकार के शय्याओं यथा Fowler Deluxe Bed, Fowler Bed एवं Semi Fowler Bed के दर निर्धारण हेतु दिनांक 13.10.2011 को समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा सूचना के अनुसार निर्धारित तिथि दिनांक 21.10.2011 को 03 बजे अपराह्न में इच्छुक निविदादाताओं के साथ Prebid Meeting आयोजित हुई, जिसमें कोर कमिटी के सदस्यों यथा निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार के प्रतिनिधि के रूप में डा० नागेन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, राज्य औषधि नियंत्रक बिहार के प्रतिनिधि के रूप में श्री रमेश कुमार, सहायक राज्य औषधि नियंत्रक, अधीक्षक, पी०एम०सी०एच० के प्रतिनिधि के रूप में डा० गणेश प्रसाद, उपाधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, श्री नौशाद हैदर, प्रोक्योरमेन्ट स्पेशलिस्ट यूनिसेफ एवं डा० नीलेश देशपांडे, राज्य समन्वयक, यू०एन०एफ०पी०ए० के अतिरिक्त डा० डी०के० रमण, अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार एवं प्रतिनियुक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी, औषधि नियंत्रण प्रशासन श्री हेमन्त कुमार सिन्हा एवं श्री राकेश नंदन सिंह विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित हुये।

Pre-bid बैठक में कुल 9 इच्छुक निविदादाता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिसकी उपस्थिति संचिका में संधारित कर ली गयी है। डा० गणेश प्रसाद, उपाधीक्षक, पी०एम०सी०एच० एवं श्री नौशाद हैदर, प्रोक्योरमेन्ट स्पेशलिस्ट, यूनिसेफ ने निविदा सूचना को विस्तृत रूप में पढ़ कर सुनाया। बैठक में उपस्थित निविदादाताओं एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा निविदा में प्रकाशित सूचना, शय्याओं की विशिष्टता एवं निविदा सूचना के terms and condition के संबंध में पृच्छाएँ की गईं, जिसके आलोक में बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1. Size and specification of beds :-
 - (a) 6.7'L x 3'W x 2'H यानि 203L x 90W x 60H cms.- Bumper to Bumper (from first end to last end)
 - (b) Height of bed 60cms (2ft.) with wheel.
 - (c) 12.5 cms. Dia swiveling castors wheel with dual locking arrangement.
2. Iron Rods का मतलब Steel Rods से है यानि शय्या में Steel Rods का उपयोग किया जाना है न कि Iron का।
3. Provision for four I.V. rods locations का अर्थ है कि Bed के चार Locations पर I.V. rods के fixation हेतु व्यवस्था करनी है एवं बेड के साथ I.V. Steel Rods भी उपलब्ध कराना होगा।
4. Provision for installing mosquito net rods का अर्थ है कि Bed के साथ चार mosquito net rods उसके fixing की व्यवस्था के साथ उपलब्ध रहना आवश्यक है।
5. Provision of attaching paper roll का अर्थ है कि बेड के साथ Paper Roll attach किये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
6. Provision of clip for Mattress and Bed Sheet so that mattress does not slip का अर्थ है कि Bed में Mattress एवं Bed Sheet को Hold करने के लिए इस प्रकार के Clip का Provision होना चाहिए कि Mattress एवं Bed Sheet बेड से slip नहीं हो सके।
7. Provision of side railing which should be foldable and slidable under the bed का अर्थ है कि बेड के साथ Stainless Steel का side railing लगा होना चाहिए जो कि foldable एवं बेड के under slidable होना चाहिए।
8. निविदा सूचना के Tender Condition के कंडिका 'c' को संशोधित करते हुये "Bihar Govt. Supply. Not For Sale" embossed at header part of bumper (first end) पढ़ा जाये।
9. निविदा सूचना के Tender Condition के कंडिका 'h' को "The supply should commence within 50 days initially of receiving the award letter and shall be completed within 30 days of receipt of order/indent. (0.5% per day subject to a maximum of 70% of bill amount of delayed supply), which shall be deducted from their bill or Performance Security Money संशोधित समझा जाये।

10. निविदा सूचना के Tender Condition के कंडिका 's' को संशोधित करते हुये The first supply shall be ensured within **40 days** of the receipt of the first order, thereafter subsequent supplies shall be made within **20 days** of the receipt of the orders मान्य समझा जाये।
11. शय्याओं का दर अनुबंध वित्तीय निविदा में पाये गये न्यूनतम दर (L-1 rate) के आधार पर किया जायेगा एवं दर अनुबंध की तिथि से दो वर्षों के अनुबंध किया जायेगा तथा उक्त अवधि में L-1 rate में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
11. निविदा सूचना के Minimum Eligibility Criteria के कंडिका 'k' में अंकित Maximum Batch Production Capacity Certificate is to be issued by the Industry Department/Inspector of Factory or Production Manager of the firm को Maximum **Lot** Production Capacity Certificate is to be issued by the Industry Department/Inspector of Factory or Production Manager of the firm पढ़ा जाये।
12. निविदा सूचना के Minimum Eligibility Criteria के कंडिका 'o' को संशोधित कर दिया गया है अब यह **Name and address** of Authorised Service Centre in the State of Bihar पढ़ा जाये।
13. वित्तीय निविदा में MRP का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
14. सभी आपूर्ति किये गये बेड हेतु आपूर्ति की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक के लिए निर्माता/आयातकर्ता को warranty (including replacement of parts) देना आवश्यक होगा एवं warranty के उन पाँच वर्षों की अवधि के दौरान बेड में आये किसी भी प्रकार की त्रुटि को दर अनुबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा निःशुल्क दूर किया जाना अनिवार्य होगा। बेड में major defects आने पर बेड को replace भी करना होगा। इसके लिए L-1 फर्म का 10% राशि warranty period तक भुगतान लंबित रखा जायेगा अथवा दर अनुबंध के अनुसार कार्रवाई नहीं किये जाने पर उनके बैंक गारंटी से deduct कर लिया जायेगा।
15. अंत में उपस्थित निविदादाताओं/निविदादाता फर्मों के प्रतिनिधियों को अवगत करा दिया गया कि बैठक की कार्यवाही एवं सभी संशोधनों को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 14.11.2011 को अपराह्न 3 बजे निर्धारित है।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

डा० गणेश प्रसाद
उपाधीक्षक
पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल
पटना

डा० नागेन्द्र प्रसाद सिंह
उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ
प्रतिनिधि, निदेशक प्रमुख

डा० डी० के० रमण
अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

डा० निलेश देशपांडे
राज्य कार्यक्रम समन्वयक
यू०एन०एफ०पी०ए०

नौशद हैदर
प्रोक्थोरमेन्ट स्पेशलिस्ट
यूनिसेफ, बिहार

रमेश कुमार
सहायक औषधि नियंत्रक
प्रतिनिधि राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार

राकेश नंदन सिंह
प्रतिनियुक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी
औषधि नियंत्रण प्रशासन

हेमन्त कुमार सिन्हा
प्रतिनियुक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी
औषधि नियंत्रण प्रशासन